

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 38/अ-82/16-17 जौलखेड़ा / 10321

बैतूल दिनांक 16 .09.2019

// घोषणा //

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	जौलखेड़ा	0.552	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे०में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	घुड़िया व० भोन्दु तेली सा० देह	3/1	0.245	0.003
2	घुड़िया व० भोन्दु तेली सा० देह	4/1	0.990	0.009
3	फत्तू वल्द प्रेमू सा० देह	17/1	0.610	0.119
4	नथन व० झिपरया सा० देह	61/1	0.007	0.003
5	छोटू वल्द झिपरया सा० देह	61/3	0.007	0.003
6	भोला वल्द बिरजलाल, बना, छोटी, जमना पिता बिरजलाल, बंटनी बेवा इन्दु, रामरतन, कमलकिशोर वल्द इन्दु, मीरा, द्वारका, सुनिता, अनिता, रूकमणी, ज्योति पिता इन्दु सा० देह	61/2	0.014	0.003
7	चुनिया पति कालूराम सा० देह	62/2	0.0046	0.006
8	कालूराम व० ब्रजलाल सा० देह	62/3	0.046	0.005
9	कालूराम व० ब्रजलाल सा० देह	63	0.295	0.023
10	नान्हु वल्द घुन्दू सा० देह	89/1	0.377	0.007
11	विमला बेवा मुन्नालाल, हरिश, निलेश व० मुन्नालाल, मनीषा पिता मुन्नालाल, सा० देह	89/2	0.377	0.052



12	छोटेलाल, शंकर, वल्द मौजी कैलाश, प्रहलाद व0 गुल्लू, अनुसया पिता गुल्लू सा0 देह	178/2	0.393	0.001
13	सुन्दरसिंह व0 बलसिंह, राधा बेवा राजेश, पंकजसिंह व0 रोजश सिंह सा0 देह	706/1	0.677	0.030
14	हेमराजसिंह व0 सुखचंद सा0 देह	734/1	0.571	0.048
15	झुनिया व0 चिरोजी सा0 देह	734/2	0.647	0.040
16	पूरन व0 गेंदलाल सा0 देह	734/3	0.486	0.016
17	बिहारी व0 मंशाराम सा0 देह	734/4	0.607	0.080
18	पुरुषोत्तम व0 रामलाल, धनराज व0 पुरुषोत्तम सा0 देह	726	2.044	0.104
योग			8.397	0.552

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(तेजस्वी एस0 नायक)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ०क० 38/अ-82/16-17/जौलखेड़ा/10321

बैतूल दिनांक 16.09.2019

प्रतिलिपि:-

1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रकाशक दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करे।

3- उप मुख्य अभियंता मध्य रेल्वे अंजनी नागपुर (महा०) को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराने हेतु अग्रेषित।

4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी) सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।

5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।

6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल/ ग्राम पंचायत में चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।

8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

Sant Malik
अपर कलेक्टर एवं

प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन बैतूल

L

15
16/9/19